



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



22 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 562 राँची, बुधवार,

13 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

18 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-17/2019-22400 (HRMS)--श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के विरुद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक-160, दिनांक-02.02.2019 आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के पद पर पदस्थपित रहने के दौरान वर्ष 2018 में इनके द्वारा सदर अंचल अंतर्गत ग्राम-हरहद, थाना संख्या-117 के अन्तर्गत खाता संख्या-172, प्लॉट संख्या-2367, रकबा-33.00 एकड़ का पंजी-II के पृष्ठ संख्या-184, भौल्युम-II में प्रविष्टि बृजनंदन विश्वकर्मा पिता दहन मिस्त्री एवं खाता संख्या-172, प्लॉट संख्या-2368, रकबा-34.00 एकड़ का पंजी-II के पृष्ठ संख्या-185, भौल्युम-II में प्रविष्टि मालती देवी पति बृजनंदन विश्वकर्मा के नाम से Jharbhoomi Portal पर अपने Digital Signature, Login Id एवं Password के माध्यम से नया पृष्ठ Create करते हुए ऑनलाइन

जमाबंदी दिनांक-11.12.2018 को कायम कर किया गया, जबकि ऑफलाइन पंजी II में पृष्ठ संख्या 174 के बाद के पृष्ठ पर कोई जमाबंदी कायम नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन पंजी-II में पृष्ठ 174 के बाद के सभी पृष्ठों को अवैध रूप से Create किया गया है। प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरुआ खास किस्म जंगल दर्ज है। उक्त जमाबंदी कायम होने के उपरांत संबंधित भूमि का ऑनलाइन लगान रसीद भी दिनांक 27.12.2018 को निर्गत हुआ। इनके द्वारा की गई उक्त ऑनलाइन प्रविष्टि राजस्व विषयक गंभीर अनियमितता को इंगित करती है।

उक्त संपूर्ण मामले की जानकारी मिडिया तथा सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ। गैरमजरुआ खास किस्म जंगल भूमि से संबंधित बड़े रकबा की जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत होना जैसे गंभीर विषयों की जानकारी होने के बाद भी इनके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया तथा इससे वरीय पदाधिकारियों को ससमय अवगत नहीं कराया गया। सरकारी भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश एवं बिना पूर्व कायम जमाबंदी के ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज किया जाना एवं तदोपरांत ऑनलाइन रसीद निर्गत होना प्रथम द्रष्टया इनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने एवं सरकारी भूमि के संरक्षण में विफलता एवं इनकी संलिप्तता को प्रदर्शित करता है।

NIC, JHSC, Ranchi के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में जिस IP Address का उल्लेख किया गया है, वह IP Address एन०आई०सी०, हजारीबाग के द्वारा सदर अंचल हजारीबाग के जिस कम्प्यूटर से म्युटेशन एवं ऑनलाइन सुधार के लिए मैपिंग किया गया था, उस कम्प्यूटर के IP Address से भिन्न है। स्पष्ट है कि यह ऑनलाइन सुधार कार्यालय से बाहर किया गया है एवं इसमें इनके Digital Signature का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य श्री बालेश्वर राम, अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

(ii) जाँच के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा बिना पूर्वानुमति अथवा पूर्व सूचना के निजी प्रतिष्ठान से राजस्व तथा अन्य सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जाता था तथा उक्त कार्य में निजी व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता था।

(iii) इनके द्वारा किसी सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना दो Digital Signature बनवाकर उसके माध्यम से कार्यों का निष्पादन किया जाना उनके गलत मंशा एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(iv) अंचल कार्यालय, सदर में कम्प्यूटर संबंधी कार्यों के संपादन हेतु 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं, इसके बावजूद इनके द्वारा अपने कार्यों को संपादित करवाने हेतु निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा गया है साथ ही गलत तरीके निजी कम्प्यूटर को Jharbhoomi Portal पर कार्य करने हेतु Mapping भी करवाया गया है।

सरकार के द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न प्रावधानों एवं नियमों के तहत एक व्यवस्था बनायी गयी है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर कार्यों को आवंटित करते हुए जिम्मेवारी निर्धारित की गयी है। इस व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु Jharbhoomi Portal के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर Login ID, Password एवं Digital Signature की दोहरी सुरक्षा एवं गोपनीयता की व्यवस्था की गयी है, ताकि किसी स्तर पर धोखाधड़ी, जालसाजी एवं नियमों के विरुद्ध कार्य करने की कोई संभावना नहीं रहे। उक्त व्यवस्था का उल्लंघन कर इनके द्वारा एक निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर को अपना Login ID, Password एवं Digital Signature की जानकारी देकर गोपनीयता को भंग किया गया।

(v) ऑनलाईन प्रविष्टि कायम होने के पश्चात भी इनके द्वारा अपने स्तर से उसके विलोपन हेतु प्रयास नहीं किया गया, अपितु दिनांक 05.01.2019 को आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग तथा उपायुक्त, हजारीबाग के निरीक्षण के क्रम में निर्देश दिये जाने के उपरांत विलोपन का कार्य किया गया।

अतः सरकारी राजस्व से संबंधित कार्यों में इनके द्वारा नियमों के विपरीत कार्य करना एवं भ्रामक तथा स्वेच्छापूर्ण प्रक्रिया अपनाना आदि इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के सर्वथा प्रतिकूल है।

2- उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3102, दिनांक-16.04.2019 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री राम के पत्रांक-311 दिनांक-29.05.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5572, दिनांक-15.07.2019 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-304, दिनांक 01.03.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया।

3- श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-14676, दिनांक 27.07.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-305, दिनांक 27.12.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी पाँचों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4- विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राम के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1384, दिनांक 06.03.2023 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री राम के पत्र, दिनांक 31.05.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) मौजा हरहद के खाता नं०-172, प्लॉट संख्या-2367 एवं 2368, जो GM जमीन है, Online Entry की जानकारी दिनांक 31.12.2018 को प्राप्त होते ही इन्होंने KC/CI के द्वारा जाँच कराकर दिनांक 02.01.2019 को अपर समाहर्ता, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पत्र भेजा ।

(ii) दिनांक 05.02.2019 को उपायुक्त, हजारीबाग के आदेशानुसार उनके ही D. Signature के प्रयोग से उक्त अवैध जमाबंदी को Online विलोपित कर दिया गया। दिनांक 08.02.2019 को इनके द्वारा सदर थाना में FIR दर्ज करवाया गया, जिसका FIR No. 10/19 है, जिसमें NIC के एक Operator को नामित भी किया है ।

(iii) दिनांक 11.12.2018 को Entry हुआ था, उस दिन ये उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1028, दिनांक 09.12.2018 के आदेशानुसार बैलेट पेपर लाने हेतु कलकत्ता गये थे। Entry को IP Address न ही उनके ऑफिस के कम्प्यूटर का है न ही उनके निजी कम्प्यूटर का है। BSNL के ब्रॉडबैंड का IP Address है, जिसकी जाँच की आवश्यकता है ।

(iv) Digital Signature उनके पास दो था, लेकिन एक सेवा का एक ही Digital Signature काम करता था। इसलिए Jhar सेवा के लिए अलग Digital Signature था और Jhar Bhoomi के लिए अलग, जिससे एक साथ दो कम्प्यूटर में कार्य होता था, जिसमें हजारों पेंडिंग कार्य सम्पन्न हुआ। उन्हें सरकारी लैपटॉप नहीं मिला था, इसलिए ये office समय के बाद घर पर भी अपना कम्प्यूटर से कार्य करते थे, जो रात में 11-12 बजे तक होता था। ये किसी भी अन्य Operator को नहीं लिए थे। जब कम्प्यूटर खराब होता था, तो किसी Expert का मदद लेते थे। ये Jhar Bhoomi के Digital Signature को किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देते थे। लेकिन NIC के Operator को एक दिन दिया, उसी ने Signature को कॉपी कर किसी अन्य कम्प्यूटर से Entry करवाया होगा, जो आने समय में झारखण्ड के अन्य अंचलों में भी इस प्रकार की घटना घटित हुआ है ।

(v) दिनांक 31.08.2018 को जब ये अंचल अधिकारी सदर के रूप में योगदान दिये, उस समय से ही सर्टिफिकेट एवं Mutation के हजारों केस लंबित थे, जिसको ये रात-दिन एक कर के शून्य पर लाये। Office समय में छात्रों द्वारा जमा करने के कारण रात में ये अपने घर से काम करते थे ।

(vi) यह घिनौनी कार्य के लिए ये दोषी नहीं हैं। यह एक Cyber अपराध है, जिसमें NIC हजारीबाग एवं NIC राँची के कुछ Operator शामिल हैं। उनके खिलाफ एक षडयंत्र है। इनको फंसाया गया है ।

श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों को समर्पित किया गया है, जो पूर्व के समर्पित बचाव बयान में प्रस्तुत किया गया था। द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपी पदाधिकारी द्वारा कोई भी नया तथ्य या साक्ष्य आरोपों को अप्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित हैं । समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दो Digital Signature रखा गया था एवं ऑफिस से बाहर Personel Login भी रखा गया था। आरोपी पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित अपने बचाव बयान में भी स्वीकार किया है कि Private ऑपरेटर भी रखा गया था,

जिसके माध्यम से सरकारी कार्य भी लिया जाता था। NIC से उपलब्ध कराये गये पासवर्ड को आरोपित पदाधिकारी द्वारा चेंज नहीं करना, उनकी लापरवाही से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अभिलेख में रक्षित सभी संबंधित कागजातों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि Digital Signature का प्रयोग आरोपित पदाधिकारी के अलावे एक अन्य अनाधिकृत रूप से रखे गये निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर शिवु कुमार करते थे।

उपायुक्त, हजारीबाग के गोपनीय पत्र सं०- 97/गो०, दिनांक 05.01.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विशेष परिस्थिति में आरोपित पदाधिकारी के Digital Signature का प्रयोग कर प्रश्नगत ऑनलाइन प्रविष्टि को विलोपित करने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात् विलोपन का कार्य निष्पादन किया गया। इससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से विलोपन का प्रयास नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से० तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BALESHWAR RAM JHK/JAS/280	श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
